>

Title: Regarding exploitation of farmers by the Government in the name of land acquisition

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। साथ ही सरकार से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि देशहित में हस्तक्षेप करना बहुत आवश्यक है। इस देश ने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगुर के किसानों के आंदोलन को झेला है और आज पूरे देश का किसान उद्वेलित है, आत्महत्या कर रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है। भूमि-अधिग्रहण के नाम पर उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, वह इस देश की सरकारों के द्वारा दिये गये " जय-किसान" के नारे की धज्जियां उड़ा रहा है।

महोदय, नंदीग्राम और सिंगुर के किसान आंदोलनों को देखते हुए इस देश के उच्चतम न्यायालय ने भी सेज के नाम पर, इस देश की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण न करने का निर्देश दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी उस पर अमल नहीं हो रहा है और भूमि-अधिग्रहण संबंधी जो विधेयक है वह अभी भी लम्बित पड़ा हुआ है।

मैं आपका ध्यान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उन किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं जो लगातार पिछले कई वर्षों से सरकार के शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। उन किसानों की जमीनों को औने-पौने दामों पर अधिग्रहण करके सरकार के द्वारा, उन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कब्जा करके उन्हें बेदखल किया जा रहा है। जो किसान अपनी जमीन को देना नहीं चाहता हैं, उन पर झूठे मुकदमें दर्ज किये जाते हैं, उन्हें जेल के शिकंजों में बंद कर दिया जाता है, उन्हें तबाह करने के प्रयास होते हैं।

अभी कल की घटना है, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक किसान ने तंगी में आकर पहले प्रशासन के पास गुहार की, जब किसी ने सुना नहीं तो वह उच्चतम न्यायालय में गया, हाई-कोर्ट से स्टे लेकर आ गया। न्यायालय के स्टे के बावजूद उस पर वहां के कमीश्नर ने झूठे मुकदमें दर्ज करवाए। एक ही दिन में कई-कई मामले दर्ज करवाए। वहां का किसान आंदोलित और उद्वेलित है, सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतावला है। यह देश कब तक सिंगुर और नंदीग्राम तमाम क्षेत्रों में बनाने का काम करेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करुंगा कि भूमि-अधिग्रहण संबंधी जो विधेयक प्रस्तावित है, उसे किसानों के हित में अविलम्ब पास किया जाए। जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में जो आदेश पारित किये थे, उन्होंने जो निर्देश किसानों के हित में दिये थे कि लगातार जो किसानों की उपजाऊ भूमि है, उसका क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है और लाखों हेक्टेयर लैंड कम हुई है। देश की आबादी बढ़ रही है और उपजाऊ भूमि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है और देश के सामने अन्न का भीषण संकट आने वाले समय में पैदा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो अधिकारी किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, चाहे वे राज्य सरकारों के हों या केन्द्र सरकार के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके भ्रष्ट कारनामों की जांच होनी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और किसानों को संरक्षण दिया जाना चाहिए तथा भूमि-अधिग्रहण संबंधी विधेयक को तत्काल पारित करके इस देश के किसानों का हित-संरक्षित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री गोविंद प्रसाद मिश्र, श्री देवजी एम. पटेल, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी और श्री विरेन्द्र कश्यप को योगी आदित्यनाथ के विषय के साथ एसोसिएट किया जाता है।